भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3044

उत्तर देने की तारीख : 07.08.2025

जनजातीय क्षेत्रों में एमएसएमई का समावेशी विकास

3044. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच उद्यम पंजीकरण, औपचारिक ऋण प्राप्ति और डिजिटल समावेशन की वर्तमान जिलावार स्थिति क्या है;

(ख) ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में एमएसएमई के समक्ष विशेष रूप से सड़क और बिजली अवसंरचना, ऋण की सुलभता, ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान सहित बाजार संपर्क और कुशल जनशक्ति की कमी से संबंधित जमीनी स्तर की विशिष्ट चुनौतियां क्या हैं;

(ग) विगत तीन वित्तीय वर्षों में छत्तीसगढ़ के लिए सीजीटीएमएसई, जेडईडी प्रमाणन, डिजिटल एमएसएमई योजना और पीएमईजीपी जैसी केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत आवंटित निधि कितनी है और उक्त निधि का किस सीमा तक उपयोग हुआ है; और

(घ) पिछड़े जिलों में सड़क, बिजली और ब्रॉडबैंड अवसंरचना को मजबूत करके, सरलीकृत संपार्श्विक मानदंडों के माध्यम से ऋण तक पहुंच बढ़ाकर और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का विस्तार कर, डिजिटल साक्षरता, ई-मार्केटिंग और क्लस्टर-आधारित सामान्य सुविधा केंद्रों को बढ़ावा देकर और जमीनी स्तर पर कौशल-युक्त बनाने तथा अनुपालन सुगमता की सहायता प्रदान करने के लक्ष्य से छत्तीसगढ़ में एमएसएमई क्षेत्र के संतुलित और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने दिनांक 01 जुलाई, 2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) की शुरुआत की थी जोकि नि:शुल्क, कागजरहित और पूर्णतया डिजिटलीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई उद्यम स्वयं को एमएसएमई के रूप में पंजीकृत कर सकता है। छत्तीसगढ़ में दिनांक 31.07.2025 तक पंजीकृत एमएसएमई का जिला-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

उद्यमों का संवर्धन और विकास राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों सहित देशभर में एमएसएमई के समग्र विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के जरिए राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। एमएसएमई मंत्रालय केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों का कार्यान्वयन करता है। निधियों का राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है। सृजित मांग और वित्तीय संस्थानों द्वारा संस्वीकृत ऋण राशि के आधार पर निधियों का उपयोग किया जाता है।

एमएसएमई के मध्य औपचारिक रूप से क्रेडिट राशि प्राप्त करने को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई मंत्रालय छत्तीसगढ़ सहित देशभर में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन करता है। विगत तीन वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या, संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी राशि तथा छत्तीसगढ़ में पीएमईजीपी के अंतर्गत अनुमानित सृजित रोजगार का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वित्त वर्ष	सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी राशि (करोड़ रु. में)	अनुमानित सृजित रोजगार
2022-23	2,543	74.93	20,344
2023-24	2,379	76.25	19,032
2024-25	1,853	65.64	14,824

छत्तीसगढ़ राज्य में एमएसई के लिए सीजीएस के अंतर्गत जारी गारंटियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

छत्तीसगढ़ राज्य में विगत 3 वर्षों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सीजीएस के अंतर्गत अनुमोदित गारंटियों का ब्यौरा					
वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25	
अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित गारंटियों की राशि (करोड़ रु. में)	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित गारंटियों की राशि (करोड़ रु. में)	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित गारंटियों की राशि (करोड़ रु. में)
17,733	1,568.54	25,845	2,968.15	40,583	4,231.26

एमएसएमई चैंपियंस स्कीम केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम है जो छत्तीसगढ़ राज्य सहित सम्पूर्ण भारत में विनिर्माण करने वाले पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर लागू है। एमएसएमई-सस्टेनेबल (जेड) प्रमाणन स्कीम तथा डिजिटल एमएसएमई स्कीम एमएसएमई चैंपियंस स्कीम का एक उप-घटक है। एमएसएमई-सस्टेनेबल (जेड) प्रमाणन स्कीम के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में कार्यान्वयन एजेंसी को जारी की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वित्त वर्ष	आबंटित निधि (करोड़ रु. में)
वित्त वर्ष 2022-23	27.30
वित्त वर्ष 2023-24	193.52
वित्त वर्ष 2024-25	241.50

अखिल भारतीय स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जेड प्रमाणन स्कीम के अंतर्गत आज की तारीख तक प्राप्त उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

भौगोलिक स्तर	पंजीकरण	कांस्य प्रमाणन	रजत प्रमाणन	स्वर्ण प्रमाणन
अखिल भारत	5,31,977	3,44,303	1,814	2,482
छत्तीसगढ़	4,773	3,056	4	7

डिजिटल एमएसएमई स्कीम के अंतर्गत आज की तारीख तक कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के रूपांतरण तथा उनके विस्तार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने बजट 2025 में एमएसएमई की संशोधित परिभाषा की घोषणा की थी तथा सभी प्रकार के एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमश: 2.5 और 2 गुणा बढ़ा दिया गया है। यह संशोधन एमएसएमई को बेहतर रूप से व्यापार करने, पूंजी तक पहुंच को और बेहतर बनाने तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन में सहायता प्रदान करेगा।

टूलरूम और तकनीकी संस्थानों के अंतर्गत एमएसएमई मंत्रालय ने सामान्य अभियांत्रिकी, ऑटोमेशन, हाथ के औजारों, प्लास्टिक्स, ऑटोपार्ट्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, फोर्जिंग और फाउंड्रिंग आदि जैसे क्षेत्रों में 27 टूलरूम और तकनीकी संस्थानों, जिन्हें प्रौद्योगिकी केन्द्र (टीसी) भी कहा जाता है, की स्थापना की है ताकि एमएसएमई को प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों के साथ सहायता प्रदान की जा सके।

एमएसएमई के लिए क्रेडिट राशि की उपलब्धता बढ़ाने हेतु सरकार ने बजट 2025 में निम्नलिखित नीतिगत उपायों की घोषणा की थी:-

i. एमएसएमई मंत्रालय की क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस संबंध में एक परिपत्र भी जारी किया गया है तथा तत्संबंधी परिवर्तन दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी हो गए हैं।
ii. इसके अतिरिक्त, सरकार ने उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा के साथ अनुकूलित क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाने संबंधी प्रावधान की भी घोषणा की है।

देश में एमएसएमई के लिए क्रेडिट तक पहुंच को और अधिक बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं:

i. **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋण संबंधी दिशा-निर्देश** : दिनांक 24 मार्च, 2025 के 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋण (पीएसएल) पर मास्टर निदेश' के अनुसार इसमें निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने वाले एमएसएमई को दिए जाने वाले सभी प्रकार के बैंक ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत होने के लिए अर्हक होना चाहिए।
ii. **एमएसएमई इकाइयों की कोलेटरल संबंधी आवश्यकताएं** : एससीबी को एमएसई क्षेत्र में इकाइयों को दिए जाने वाले 10 लाख रुपए तक के ऋण के मामले में कोलेटरल सिक्योरिटी स्वीकार नहीं करने के लिए अधिदेशित किया गया है।
iii. **क्रेडिट राशि के संबंध में निर्णय लेने संबंधी समय-सीमा :** ऋण प्राप्त करने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए जाने वाले 25 लाख रुपए तक के ऋण के लिए बैंकों को यह सलाह दी गई है कि क्रेडिट संबंधी निर्णयों के लिए समय-सीमा 14 कार्यदिवस से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इन कदमों के जरिए छत्तीसगढ़ सहित देशभर में एमएसएमई क्षेत्र का संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहित देशभर में एमएसएमई के मध्य पंजीकरण के जरिए उपलब्ध लाभों के बारे में जागरुकता को और अधिक बढ़ाने के लिए संबंधित राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के एमएसएमई/औद्योगिक विभागों तथा अन्य एमएसएमई स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वय करके सभी स्टेकहोल्डरों की सहभागिता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु भौतिक कार्यशालाओं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए एमएसएमई मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

****

अनुबंध - I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3044, जिसका उत्तर दिनांक 07.08.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यम पोर्टल पर जिला-वार कुल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का ब्यौरा दिनांक 01/07/2020 से 31/07/2025 तक		
क्र.सं.	**जिला**	**कुल**
1	बालोद	32,799
2	बालोद बाजार	39,361
3	बलरामपुर	11,955
4	बस्तर	30,725
5	बेमेतरा	22,121
6	बीजापुर	7,593
7	बिलासपुर	104,207
8	दंतेवाड़ा	6,711
9	धमतरी	37,657
10	दुर्ग	133,744
11	गरियाबंद	15,652
12	गौरेला पेंड्रा मरवाही	5,480
13	जांजगीर-चंपा	68,358
14	जशपुर	27,619
15	कबीरधाम	24,373
16	कांकेर	25,380
17	खैरगढ़ छुईखदान गंडई	3,830
18	कोंडागांव	17,153
19	कोरबा	65,764
20	कोरिया	17,610
21	महासमुंद	44,183
22	मनेन्द्रगढ़ चिरिमिरी भरतपुर	5,390
23	मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी	2,392
24	मुंगेली	16,840
25	नारायणपुर	4,887
26	रायगढ़	62,775
27	रायपुर	193,312
28	राजनंदगांव	52,000
29	सक्ती	5,793
30	सारंगढ़ बिलाईगढ़	5,193
31	सुकमा	3,195
32	सुरजपुर	22,298
33	सरगुजा	34,844